

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
HYDERABAD REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

N-09.00447

No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **विविफाय इंडिया फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

VIVIFI INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन हैदराबाद में मार्च दो हजार सत्रह की इकतीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

this

Thirty First

day of

March

Hyderabad
Two Thousand

Seventeen.



(सुवेंदु पति / **Suwendu Pati**)
(महा प्रबंधक / ~~उप महा प्रबंधक~~)